

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ  
Ch. Charan Singh University, Meerut



पत्रांक : सम्बद्धता/२७५२  
दिनांक : २१.१०.२०२१

सेवा में,

सचिव/प्राचार्य,  
भगवन्त कालेज ऑफ एजुकेशन,  
मुजफ्फरनगर।

महोदय,

कृपया अपने पत्र दिनांक ७.१०.२०२१ का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उन्होंने संस्थान में स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत संचालित बी०पी०एड० पाठ्यक्रम में चयन समिति द्वारा चयनित अभ्यर्थी को प्राचार्य पद पर अनुमोदन प्रदान करने का अनुरोध किया गया है, जिनका विवरण निम्नवत है :-

S.N.	Name	Design	Qualification	Univ. Expert
1-	Dr. Lalchand Holiram Pardi	Principal	M.P.Ed., Ph.D.	Dr. Naresh Malik CCRD College, MZN Prof. Jagvir Singh CCS University, Meerut Prof. Y. Singh CCS University, Meerut

माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत संचालित बी०पी०एड० पाठ्यक्रम में उपरोक्त अभ्यर्थी को प्राचार्य पद पर शासन/यू०जी०सी०/एन०सी०टी०ई०/बी०सी०आई०/एम०सी०आई०/एन०सी०आई०/सी०सी०आई०एम०/ए०आई०सी०टी० के मानकानुसार पाँच वर्ष हेतु अनुमोदन इस शर्त के साथ प्रदान किया जाता है कि विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित शिक्षक की मृत्यु/त्यागपत्र/निष्कासन की दशा में विलम्बतम १५ दिनों में विश्वविद्यालय को सूचित किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त संस्थान को यह भी निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त चयनित अभ्यर्थी केवल एक ही संस्थान में कार्यरत रहेंगे प्राचार्य के सम्बन्ध में अद्यतन शासनादेशों के प्राविधानों के अनुपालन का उत्तर दायित्व संस्थान/महाविद्यालय का होगा। चयनित प्राचार्य के अभिलेखों में यदि कोई अनियमितता पायी जाती है तो उसके विरुद्ध विश्वविद्यालय नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

भवदीय

सहा० कुलसचिव (सम्बद्धता)  
कृते कुलसचिव

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ  
Ch. Charan Singh University, Meerut



पत्रांक : सम्बद्धता/2743  
दिनांक : 21/10/2021

सेवा में,  
सचिव/प्राचार्य,  
भगवन्त कालेज ऑफ एजुकेशन,  
मुजफ्फरनगर।


महोदय,

कृपया अपने पत्र दिनांक 7.10.2021 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उन्होंने संस्थान में स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत संचालित बी०पी०एड० पाठ्यक्रम में चयन समिति द्वारा चयनित अभ्यर्थी को एसोसिएट प्रोफेसर पद पर अनुमोदन प्रदान करने का अनुरोध किया गया है, जिनका विवरण निम्नवत है :-

<u>S.N.</u>	<u>Name</u>	<u>Design</u>	<u>Qualification</u>	<u>Univ. Expert</u>
1-	Dr. Ramesh Chandra Singh	Asso. Prof.	M.P.Ed. Ph.D.	Dr. Praveen Kumar CCS University, Meerut Dr. S.N. Singh S.D. College, MZN

माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत संचालित बी०पी०एड० पाठ्यक्रम में उपरोक्त अभ्यर्थी को एसोसिएट प्रोफेसर पद पर शासन/ यू०जी०सी०/ एन०सी०टी०ई०/ वी०सी०आई०/ एम०सी०आई०/ एन०सी०आई०/ सी०सी०आई०एम० / ए०आई०सी०टी० के मानकानुसार पाँच वर्ष हेतु अनुमोदन इस शर्त के साथ प्रदान किया जाता है कि विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित शिक्षक की मृत्यु/त्यागपत्र/निष्कासन की दशा में विलम्बतम 15 दिनों में विश्वविद्यालय को सूचित किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त संस्थान को यह भी निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त चयनित अभ्यर्थी केवल एक ही संस्थान में कार्यरत रहेंगे एसोसिएट प्रोफेसर के सम्बन्ध में अद्यतन शासनादेशों के प्राविधानों के अनुपालन का उत्तर दायित्व संस्थान/महाविद्यालय का होगा। चयनित एसोसिएट प्रोफेसर के अभिलेखों में यदि कोई अनियमितता पायी जाती है तो उसके विरुद्ध विश्वविद्यालय नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

भवदीय

  
सहा० कुलसचिव (सम्बद्धता)  
कृते कुलसचिव 

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ  
Ch. Charan Singh University, Meerut



पत्रांक : सम्बद्धता/2741  
दिनांक : 21.10.2021

सेवा में,

सचिव / प्राचार्य,  
भगवन्त कालेज ऑफ एजुकेशन,  
मुजफ्फरनगर।

महोदय,

कृपया अपने पत्र दिनांक 7.10.2021 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उन्होंने संस्थान में स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत संचालित बी०पी०एड० पाठ्यक्रम में चयन समिति द्वारा चयनित अम्बर्थी को असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर अनुमोदन प्रदान करने का अनुरोध किया गया है, जिनका विवरण निम्नवत है :-

<u>S.N.</u>	<u>Name</u>	<u>Design</u>	<u>Qualification</u>	<u>Univ. Expert</u>
1-	Pawan Kumar Yadav	Asst. Prof.	M.P.Ed. NET	Dr. Praveen Kumar CCS University, Meerut Dr. S.N. Singh S.D. College, MZN
2-	Sarita Gaur	Asst. Prof.	M.P.Ed. NET	----- do -----
3-	Vikram Singh	Asst. Prof.	M.P.Ed. NET	----- do -----
4-	Naveen Kr. Yadav	Asst. Prof.	M.P.Ed. NET	----- do -----
5-	Bal Karan Chauhan	Asst. Prof.	M.P.Ed. NET	----- do -----
6-	Pramod Kr. Pal	Asst. Prof.	M.P.Ed. NET	----- do -----

माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत संचालित बी०पी०एड० पाठ्यक्रम में उपरोक्त अम्बर्थी को असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर शासन / यू०जी०सी० / एन०सी०टी०ई० / बी०सी०आई० / एम०सी०आई० / एन०सी०आई० / सी०सी०आई०एम० / ए०आई०सी०टी० के मानकानुसार पाँच वर्ष हेतु अनुमोदन इस शर्त के साथ प्रदान किया जाता है कि विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित शिक्षक की मृत्यु / त्यागपत्र / निष्कासन की दशा में विलम्बतन 15 दिनों में विश्वविद्यालय को सूचित किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त संस्थान को यह भी निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त चयनित अम्बर्थी केवल एक ही संस्थान में कार्यरत रहेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के सम्बन्ध में अद्यतन शासनादेशों के प्राविधानों के अनुपालन का उत्तर दायित्व संस्थान / महाविद्यालय का होगा। चयनित असिस्टेंट प्रोफेसर के अभिलेखों में यदि कोई अनियमितता पायी जाती है तो उसके विरुद्ध विश्वविद्यालय नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

भवदीय

सहा० कुलसचिव (सम्बद्धता)  
कृते कुलसचिव



# माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर

(पूर्वोरका, सहारनपुर, उ०प्र०, पिन-247120)

G20

Website- [msuniversity.ac.in](http://msuniversity.ac.in)

Email ID - [ar@msuniversity.ac.in](mailto:ar@msuniversity.ac.in)

पत्रांक : 2679 / 708 / सम्ब० / एम.एस.यू. / 2022-23  
सेवा में,

दिनांक: 22/02/2023

सचिव,  
भगवन्त कॉलेज ऑफ एजुकेशन  
गुजपफरनगर।

महोदय,

कृपया अपने पत्र: बी०जी०आई०/आर०ए०/215 दिनांक: 13.01.2023 का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें। जिसके द्वारा आपने संस्थान में स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत संचालित बी०एड० पाठ्यक्रम में चयन समिति द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को असि०प्रो० पद पर अनुमोदन प्रदान करने का अनुरोध किया गया है, जिनका विवरण निम्नवत् है:-

S.No.	Name	Designation	Qualification
01.	Dr. Pratap Singh Rana D.O.B 04-08-1973	HOD	M.Ed Ph.D (1999 Edu.)
02.	Sh. Manoj Kumawat D.O.B 12-07-1990	Astt. Prof.	M.Ed NET (2018 Edu.)
03.	Mr. Vinod Kumar Yadav D.O.B 01-07-1984	Astt. Prof.	M.Ed NET (2017 Edu.)
04.	Mr. Manoj Kumar D.O.B 02-08-1990	Astt. Prof.	M.Ed NET (2013 Edu.)
05.	Mr. Pramod Kumar D.O.B 11-05-1989	Astt. Prof.	M.Ed NET (2017 Edu.)
06.	Dr. Kawendra Kumar D.O.B 08-04-1982	Astt. Prof.	M.Ed Ph.D (2019 Edu.)
07.	Sh. Saqib Khan D.O.B 30-12-1991	Astt. Prof.	M.Ed NET (2017 Edu.)
08.	Sh. Shameem Ahamad D.O.B 10-07-1992	Astt. Prof.	M.Ed NET (2019 Edu.)
09.	Sh. Om Prakash Yadav D.O.B 15-05-1975	Astt. Prof.	M.Ed NET (2014 Edu.)
10.	Sh. Vinod Kumar D.O.B 03-05-1980	Astt. Prof.	M.Ed NET (2014 Edu.)
11.	Dr. Surendra Sharma D.O.B 10-01-1969	Astt. Prof.	M.Ed Ph.D (2006 Edu.)
12.	Mr. Manvendra Singh D.O.B 01-07-1986	Astt. Prof.	M.Ed NET (2017 Phy.Edu.)
13.	Mr. Arun Kumar Das D.O.B 01-07-1986	Astt. Prof.	M.Ed NET (2016 Edu.)
14.	Sh Kamlesh Kumar D.O.B 01-08-1986	Astt. Prof.	M.Ed NET (2017 Edu.)

माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत संचालित पाठ्यक्रमों में उपरोक्त अभ्यर्थियों को उल्लेखित सूची के अनुसार बी०एड० पाठ्यक्रम में HOD व असि० प्रोफेसरर्स पद पर शासन/यू०जी०सी०/एन०सी०टी०ई०/बी०सी०आई०/एम०सी०आई०/एन०सी०आई०/सी०सी०आई०एम०ए०आई०सी०टी० के मानकानुसार अनुमोदन इस शर्त के साथ प्रदान किया जाता है कि विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित शिक्षक की मृत्यु/त्यागपत्र/निष्कासन की दशा में विलम्बतम 15 दिनों में विश्वविद्यालय को सूचित किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त संस्थान को यह भी निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त चयनित अभ्यर्थी केवल एक ही संस्थान/महाविद्यालय में कार्यरत रहेंगे। असि० प्रोफेसर के सम्बन्ध में अद्यतन शासनादेशों के प्राविधानों के अनुपालन का उत्तर दायित्व संस्थान/महाविद्यालय का होगा। चयनित प्रवक्ता के अभिलेखों में यदि कोई अनियमितता पायी जाती है तो उसके विरुद्ध विश्वविद्यालय नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

भवदीय  
  
21-2-23  
सहा० कुलसचिव

पंजीकृत

सचिव  
परीक्षा नियामक प्राधिकारी  
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

प्रबन्धक/सचिव  
भगवन्त कालेज आफ एजुकेशन,  
भगवन्तपुरम गुजपफर नगर।

क्रमांक-बी०टी०सी०/अनु०-२१४५ / ५४१९-२२ / 2016-17 दिनांक: 2 जुलई 2018  
विषय- निजी बी०टी०सी० पाठ्यक्रम के अन्तर्गत स्व वित्तपोषित संकाय सदस्यों के धयन के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र दिनांक 16.05.2016 के संदर्भ में एन०सी०टी०ई० नियमावली 2014 के अनुसार प्रबन्धक के पत्र के प्रति निजी बी०टी०सी० पाठ्यक्रम के अन्तर्गत गिनालिखित नियंत्रणानुसार स्वयं वित्त पोषित योजनान्तर्गत दो यूनिट हेतु संकाय सदस्यों का अनुमोदन दो वर्ष के प्रोथराने पर इस प्रतिबंध के साथ प्रदान किया जाता है कि एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता निरस्त होने की दशा में योग्यता सम्बन्धी सत्यापन असत्य पाये जाने पर तथा अन्य किसी तथ्य का भ्रमण किया गया होगा तो अनुमोदन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

01 डा० दिग्विजय पचोरी	प्राचार्य/विभागाध्यक्ष
02 एजाज अली (पि०जाति)	प्रवक्ता शिक्षा का आधार
03 श्री कोवेन्द्र कुमार (पि०जाति)	प्रवक्ता शिक्षा का आधार
04 श्री चन्द्र प्रकाश (अनु०जाति)	प्रवक्ता शिक्षा का आधार
05 श्री वृजेश कुमार वर्मा	प्रवक्ता विज्ञान
06 श्री विधि सिंह	प्रवक्ता विज्ञान
07 श्री महबूब आलम (पि०जाति)	प्रवक्ता सा० विज्ञान
08 श्री सलीम अहमद (पि०जाति)	प्रवक्ता सा० विज्ञान
09 श्री मानु प्रताप सिंह	प्रवक्ता भाषा
10 सुश्री मनीषा (अनु०जाति)	प्रवक्ता भाषा
11 श्री प्रमोद कुमार	प्रवक्ता भाषा
12 श्री योगेन्द्र सिंह	प्रवक्ता गणित
13 श्री शिष सिंह	प्रवक्ता गणित
14 लक्ष्मी त्यागी	प्रवक्ता कला
15 डा० रन्जुला रिन्हा	प्रवक्ता कला
16 श्री ओम प्रकाश	प्रवक्ता शारीरिक शिक्षा

सम्बन्धित अनुमोदित अभ्यर्थियों के अनुभव प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यता प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्रों का सम्बन्धित सर सत्यापन करा कर, सत्यापन की प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय

श्रीमती (नीना श्रीवास्तव)

सचिव

परीक्षा नियामक प्राधिकारी

उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

क्रमांक-बी०टी०सी०/अनु०- / 2016-17 तददिनांक  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

01. निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, उ० प्र०, लखनऊ।
02. क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, उत्तर क्षेत्रीय समिति, चतुर्थ तल, जीवन निधि- II, एल०आई०सी० बिल्डिंग, भवानी सिंह मार्ग, अम्बेडकर सर्किल, जयपुर-302005 (राजस्थान)।
03. प्राचार्य, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान, गुजपफर नगर।

श्रीमती (नीना श्रीवास्तव)

सचिव

परीक्षा नियामक प्राधिकारी

उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।